मुण्डा...

6/5/26

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित और
वादी का वाद की स्वीकार किया जाता
है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
सुनाया गया। पत्रावली
पत्रावली शामिल किया गया
फैसला सुनाया नियमानुसार बाद की
पत्रावली जिला लेख कार्यालय में शामिल हो

सहायक [illegible]
मुण्डावर ([illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या 40 / 2026	दायर दिनांक 26.02.2026	निर्णय दिनांक 06.05.2026

बउनवान

1. भगवानी देवी पत्नी चिरंजीलाल
2. भरपाई पत्नी वीरसिंह
3. सावित्री पत्नी मुकेश
4. निखिल पुत्र श्री मुकेश
5. विवेक पुत्र श्री मुकेश
6. संतोष पुत्री वीरसिंह
7. ममता पुत्री वीरसिंह जातियान जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. सुस्सन सिंह पुत्रान श्री दुर्गाराम
3. कृष्णा देवी पुत्री प्रभाती
4. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
5. जसवन्त पुत्र श्री शिवजी
6. कान्ता पत्नी जसराम पुत्रवधु लक्ष्मण
7. धीरू पुत्र श्री जसराम
8. विकास पुत्र श्री जसराम
9. कृष्ण
10. गिर्राज पुत्रान श्री शिवजी
11. योगेन्द्र पुत्र श्री करण पौत्र शिवजी जातियान जाट निवासीयान नगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील – श्री रणवीर सिंह यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी आराजी है जिस पर वादीगण काबिज होकर कदीमी काश्त करते आ रहे है आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है प्रतिवादीगण के नाम बेजा बकाश्त व शिकमी दर्ज हो रहे है जो फौत हो चुके है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. यह है कि आराजी मुतनाजा में चांदकौर पत्नी वीरसिंह फौत हो गयी है जिसके वारिस वादीगण सं0 2 ल0 7 है आराजी मुतनाजा में चांदकौर के नाम के साथ बकाश्त व शिकमी के इन्द्राज होने से से वादीगण के विरासत दर्ज नहीं हो रही है इसलिये राजस्व रिकोर्ड में बकाश्त व शिकमी के इन्द्राज को कलमजन कराया जाना न्यायसंगत है। राजस्व रिकोर्ड में वीरसिंह पुत्र अर्जुन का नाम अ०वि०व में दर्ज है जो फौत हो चुके है जिसके वारिसान वादी सं० 2 ल0 7 है एवं राजस्व रिकोर्ड में दर्ज मु० सावित्री लावल्द व लावारिस अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुकी है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा ख० नं० 304, 252, 347, 350, 355 में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज बेजा रूप से दर्ज हो रहे है जबकि शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज नाम के व्यक्ति अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके है उनका या उनके वारिसान का आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा ना आज कब्जा है लेकिन बेजा तौर पर आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकोर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज हो रहे है राजस्व जमाबन्दी में वादी सं० 1 के नाम के आगे अंकित "अ0 वि0 व0 ख0 नं0 हाल 332 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख० नं० हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख० नं० हाल 235 उपरोक्त ख० नं० हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु0 सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5" के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व चांदकौर के नाम के आगे ख० नं० 304 में अंकित उपरोक्त "अ0 वि0 व0 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त खं0 नं0 हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व0 टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5" के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
5. यह है कि दिनांक 15/02/2026 को वादीगण पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड का ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी आराजी में दीगर लोगो के नाम अंकित करते हुये उनकी काश्त दर्ज कर रखी है इसलिये आप पहले राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त कराये इस पर वादीगण प्रतिवादी सं0 12 तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत में वाद पेश करने की सलाह दी इसके पश्चात वादीगण ने वकील से सम्पर्क किया तो कानूनी सलाह दी तथा मिन वादीगण के राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष
अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय की फरमायी जावे कि आराजी हाल ख० नं0 304/0.41 है0, 252/0.13 है0, 347/0.25 है0, 350/0.24 है0, 355/0.27 है0 वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज हो रहे है राजस्व जमाबन्दी में वादी सं0 1 के नाम के आगे अंकित ''अ0 वि0 व0 ख0 नं0 हाल 332 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख0 नं0 हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5'' के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व चांदकौर के नाम के आगे ख० नं० 304 में अंकित उपरोक्त ''अ0 वि0 व0 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख० नं० हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5'' के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी संख्या 05 की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 11 की ओर से इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र चान्दकौर पत्नी वीरसिंह पेश किये।

बहस प्रार्थी की ओर से संक्षिप्त बहस
वादीगण की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजी स्थित ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा की खानदानी एवं पैतृक काश्तकारी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

भूमि है, जिस पर वादीगण एवं उनके पूर्वज कदीम समय से काबिज होकर खेती–बाड़ी करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। राजस्व अभिलेखों में पुराने समय से शिकमी एवं बकाश्त संबंधी इन्द्राज दर्ज चले आ रहे हैं, जबकि जिन व्यक्तियों के नाम उक्त इन्द्राज दर्ज हैं वे अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके हैं तथा उनके वारिसान का भी कभी भूमि पर कब्जा नहीं रहा।

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी एवं प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र चांदकौर पत्नी वीरसिंह पेश किये हैं, जिनसे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा एवं काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 11 द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे वादी के कथनों का समर्थन होता है। प्रतिवादी संख्या 5 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राजस्व रिकॉर्ड में मृत व्यक्तियों के नाम से दर्ज शिकमी एवं बकाश्त इन्द्राज बने रहने से वादीगण के विरासत एवं अन्य राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा कृषि ऋण आदि सुविधाओं में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः न्यायहित में विवादित आराजियों खसरा नं. 304, 252, 347, 350 एवं 355 की जमाबन्दी में दर्ज मृत व्यक्तियों के शिकमी एवं बकाश्त संबंधी इन्द्राज कलमबंद कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियों के राजस्व अभिलेखों से मृत व्यक्तियों के शिकमी एवं बकाश्त संबंधी इन्द्राज हटाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने बाबत डिक्री पारित करने की कृपा की जावे।

संक्षिप्त विवेचन
वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इश्तकारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु०ई० दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी उनकी पैतृक एवं खानदानी काश्त की भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में मृत व्यक्तियों के नाम से शिकमी एवं बकाश्त संबंधी इन्द्राज गलत रूप से अंकित चले आ रहे हैं। उक्त व्यक्तियों का या उनके वारिसानों का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा।

प्रतिवादीगण को विधिवत तामील उपरांत प्रतिवादी संख्या 05 अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 11 द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी एवं प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र चांदकौर पत्नी वीरसिंह पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि राजस्व अभिलेखों में जिन व्यक्तियों के नाम शिकमी एवं बकाश्त इन्द्राज दर्ज

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

हैं, वे अर्सा पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा एवं काश्त होना परिलक्षित होता है।

वादीगण के साक्ष्य एवं दस्तावेजों का प्रतिवाद करने हेतु कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वादीगण का दावा विश्वसनीय एवं प्रमाणित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप वादीगण राजस्व अभिलेखों में दर्ज मृत व्यक्तियों के शिकमी एवं बकाश्त संबंधी इन्द्राज हटवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

निर्णय

वाद वादीगण बनाम प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रस्तुत साक्ष्य, अभिलेख एवं पक्षकारों की बहस पर विचार किया गया।

वादीगण का दावा प्रमाणित पाया जाकर स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आराजी हाल ख० नं0 304/0.41 है0, 252/0.13 है0, 347/0.25 है0, 350/0.24 है0, 355/0.27 है0 वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं राजस्व जमाबन्दी में वादी सं0 1 के नाम के आगे अंकित "अ0 वि0 व0 ख0 नं0 हाल 332 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख0 नं0 हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5" के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व चांदकौर के नाम के आगे ख० नं० 304 में अंकित उपरोक्त "अ0 वि0 व0 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख० नं० हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5" के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०से०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
40 / 2026	26.02.2026	06.05.2026

बउनवान

1. भगवानी देवी पत्नी चिरंजीलाल
2. भरपाई पत्नी वीरसिंह
3. सावित्री पत्नी मुकेश
4. निखिल पुत्र श्री मुकेश
5. विवेक पुत्र श्री मुकेश
6. संतोष पुत्री वीरसिंह
7. ममता पुत्री वीरसिंह जातियान जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. सुस्सन सिंह पुत्रान श्री दुर्गाराम
3. कृष्णा देवी पुत्री प्रभाती
4. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
5. जसवन्त पुत्र श्री शिवजी
6. कान्ता पत्नी जसराम पुत्रवधु लक्ष्मण
7. धीरू पुत्र श्री जसराम
8. विकास पुत्र श्री जसराम
9. कृष्ण
10. गिर्राज पुत्रान श्री शिवजी
11. योगेन्द्र पुत्र श्री करण पौत्र शिवजी जातियान जाट निवासीयान नगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.05.2025** को **सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

सहायक कलक्टर (फा0द्रै0)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

वादीगण का दावा प्रमाणित पाया जाकर स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आराजी हाल ख० नं0 304/0.41 है0, 252/0.13 है0, 347/0.25 है0, 350/0.24 है0, 355/0.27 है0 वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं राजस्व जमाबन्दी में वादी सं0 1 के नाम के आगे अंकित ''अ0 वि0 व0 ख0 नं0 हाल 332 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख0 नं0 हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5'' के इन्द्राज को विवादित आराजी की जमाबन्दी में से कलमजन किये जावे व चांदकौर के नाम के आगे ख० नं० 304 में अंकित उपरोक्त ''अ0 वि0 व0 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 दुर्गा वगैरा 1/2 शिकमीसाल 9.5 ख0 नं0 हाल 347 वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट शिकमी साल 9.5 ख0 नं0 हाल 235 उपरोक्त ख० नं० हाल 355 दुर्गा पुत्र टोडिया 1/2 वीरसिंह पुत्र अर्जुन 1/2 जाट शिकमीसाल 9.5 शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त शिवजी मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त प्रभाती मजकूर शिवजी इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मु० सावती पत्नी स्व० टोडिया दुर्गा वगैरा मजकूर वीरसिंह पुत्र अर्जुन जाट सा० देह शिकमीसाल 9.5'' के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0